न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 226 / 2026
पण्डारक थाना कांड संख्या 138 / 2021

रजनीश कुमार, पिता–स्व0 अलखदेव सिंह, उम्र करीब 31 वर्ष,
साकिन–पंडारक, थाना–पंडारक, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

17.03.2026 आवेदक अभियुक्त रजनीश कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 दं.प्र.सं. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद पण्डारक थाना कांड संख्या 138 / 2021, अंतर्गत धारा 149, 307, 336, 188 भा.द.वि. एवं 25(9) शस्त्र अधिनियम 2019 से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध इस वाद के अलावे एक आपराधिक मामले लंबित है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तथा विशिष्ट तौर पर इनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। अभियोजन के द्वारा जिस प्रकार की घटना प्राथमिकी में कही गयी है, उस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। पुलिस के गलत इरादे के कारण आवेदक को इस झूठे केस में फंसाया गया है। जश्न के दौरान हुई गोलीबारी में किसी को चोट नहीं आयी है। इस वाद में धारा 307 भा.द.वि. वाद को अजमानतीय बनाने हेतू लगाया गया है। आग्नेयास्त्र का कोई जख्म शरीर पर कारित नही है। घटनास्थल पर कोई संदिग्ध वस्तु नही पाया गया है और न ही घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। धारा 25(9) शस्त्र अधिनियम 2019 संशोधित धारा है, जो आवेदक के विरुद्ध नहीं बनता है। आवेदक मजदुर है और गरीब परिवार से है। पूर्व में सह अभियुक्त भरत कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 4398 / 2023 दि0 10.07.2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बाढ़ से एवं विक्की मल्लाह को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1423 / 2025 दिनांक 24.01.26 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम से जमानत दिया गया है और इन पर लगाये गये आरोप भी समान स्तर के हैं। आवेदक अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा वह सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः इन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता जमानत का विरोध करते हैं।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह हैं। इन्होंने स्वयं बयान अंकित किया है, जिसमें कहा है कि दिनांक 30.11.21 को समय करीब 6 बजे फायरिंग से सम्बंधित विडियो एवं फुटेज मोबाईल पर आया, जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त विडियो पंडारक बाजार का है जो पंचायत चुनाव के मतगणना के पश्चात् मतगणना केंद्र से विजय मुखिया पश्चिम पंडारक पंचायत के पक्ष में बिना किसी आदेश के नाजायज मजमा बनाकर नारा लगाते हुए लौट रहे, दिनांक 26.11.21 समय करीब 11:30 बजे का है जो जीत के खुशी को लेकर हल्ला एवं हवाई फायरिंग से सम्बंधित है। उक्त आशय का सनहा दर्ज कर सशस्त्रबल के साथ विडियो के सत्यापन हेतु उक्त स्थल पर पहुंचा। वहां उपस्थित लोगों को विडियो दिखाया और पूछताछ किया तो पता चला कि जो व्यक्ति अपने हाथ में रायफल लिये हुए, उजले रंग का फूल शर्ट एवं पैंट पहने हुए है

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 226 / 2026
पण्डारक थाना कांड संख्या 138 / 2021

लगातार
17.03.2026

उसका नाम विक्की मलाह पिता रामानन्द चौधरी है, दूसरा व्यक्ति जो अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए फायरिंग कर रहा है वह सूरज साह पिता स्व0 ओमी साह, तीसरा व्यक्ति आसमानी रंग का शर्ट और पीले रंग का गमछा लिए टिक्काधारी तथा हाथ में पिस्टल लिए हुए सूर्य प्रकाश पिता पादरी सिंह है। चौथा व्यक्ति उजला रंग का शर्ट और पगड़ी बांधे हुए भरत कुमार तथा पाचवां व्यक्ति उजला रंग का टोपी एवं काला रंग का जैकेट पहने रजनीश कुमार है तथा 15–20 लोगों की पहचान नहीं हो सकी। जांच में यह बात प्रकाश में आयी कि हर्षोल्लास में वर्चस्व तथा दहशत फैलाने के उद्देश्य से यह फायरिंग की घटना किया है। उल्लेखनीय है कि अवैध आग्नेयास्त्र रखना तथा सार्वजनिक स्थल पर हर्षोल्लास में बर्चस्व तथा दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करना एक संज्ञेय अपराध है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, विचारण न्यायालय का अभिलेख एवं केस डायरी का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि वाद हर्ष फायरिंग से सम्बंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका–3 में वादिनी का पुनः बयान अंकित किया गया है, जिसमें प्राथमिकी का समर्थन किया है। कंडिका–20 में साक्षी सिपाही रणधीर कुमार, कंडिका–21 में साक्षी सिपाही दिलीप कुमार का बयान अंकित किया है, जिसमें साक्षी ने प्राथमिकी का समर्थन किया है। कंडिका–41 में गिरफ्तार अभियुक्त सुरज साह का आरोप पत्र समर्पित किया है और आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। पूरक कांड दैनिकी के पारा–28 में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध एक आपराधिक इतिहास का उल्लेख है। कांड दैनिकी में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई उल्लेखनीय तथ्य नहीं है। विडियो एवं फुटेज देखकर संदेह के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आर्म्स से सम्बंधित कोई खोखा या जख्म कारित होना नहीं पाया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रस्तुत वाद में सह अभियुक्त भरत कुमार को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 4398 / 2023 दिनांक 10.07.2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बाढ़ से एवं विक्की मल्लाह को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1423 / 2025 दिनांक 24.01.26 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम से जमानत प्रदान किया गया है और आवेदक अभियुक्त का मामला भी समान स्तर का है। अन्य अभियुक्त सूरज साव उर्फ सूरज तेली एवं सूर्य प्रकाश नियमित जमानत पर हैं। वाद का पूरक अनुसंधान जारी है। कहीं से भी धारा 307 भा.द.वि. एवं 27(9) शस्त्र अधिनियम 2019 का आरोप आकर्षित होता हुआ प्रतीत नहीं होता है जो भी आरोप है सामान्य एवं ओमनीवस है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आवेदक अभियुक्त रजनीश कुमार को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना मैं उचित समझता हूँ। इनका अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। फलतः आदेश के तिथि से 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्समर्पण करने या गिरफ्तार होने की दशा में मो0 10,000 रूपये के शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है

(लेखापित / शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़